

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



प्रशासन अनुभाग

सं. मानू/प्रशासन/मि.120/2022-23/69


दिनांक : 10 मई, 2022

कार्यालय आदेश

विषय: मानू-प्रशासन-संशोधित दरों पर पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में।

- संदर्भ:** 1. कार्यालय ज्ञापन सं.42/07/2022-पी एवं पीडब्ल्यू (डी) दिनांक .05.04.2022 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. दिनांक 10.05.2022 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

उद्धृत पत्र के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 31% की मौजूदा दर से 34% की बढ़ी हुई दर पर अंगीकार किया गया है।


कुलसचिव

सेवा में

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)
सभी अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष
सभी विभागों(शैक्षणिक)/केन्द्रों/डीडीई के विभागाध्यक्ष
सभी अनुभागों के अध्यक्ष/प्रभारी(गैर-शैक्षणिक)
सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्ष/प्रभारी
सभी प्रधानाचार्य-सीटीई, आईटीआई/पॉलीटेकनीक, मॉडल स्कूल, कॉलेज आदि।

प्रति :

1. कुलपति/ सम-कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/एचआरडीसी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित फाइल